कार्यालय :– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली – राज.।

क्रमांक / स्थापन / 2014 / दिनांक :–14 / 07 / 2014

:: विज्ञप्ति ::

पाली न्यायक्षेत्र में वर्तमान मे पूर्णतया अस्थायी प्रकृति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 15 पद रिक्त है। नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 एवं संशोधित नियम के अन्तर्गत रनिंग पे बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 1700/ प्रतिमाह की वेतन श्रृंखला इन रिक्त पदों पर वेतनमान राज्य सरकार के नोटिफिकेशन संख्या एफ. 14 (1) एफ.डी. (रूल)2013–11 दिनांक 28.06.13 के अनुसार परीविक्षा काल (2 वर्ष तक) 5400/– रूपये प्रतिमाह देय होगा। इन रिक्त पदों पर भर्त्ती हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सेवायें, नियुक्ति एवं अन्य शर्त्तें) नियम 1999 के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इन पदों पर भर्त्ती/ नियुक्ति प्रभावी रोस्टर के अनुसार की जावेगी। उक्त पदों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थानान्तरण से भरे जा सकते, जिससे रिक्त पदों की संख्या प्रभावित हो सकती है तथा प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है। उक्त रिक्त पदों में सामान्य वर्ग 5, अन्य पिछड़ा वर्ग 1, अनुसूचित जाति वर्ग 4 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5 पद है। महिला, विकलांग अभ्यर्थियों, भूतपूर्व सैनिक, स्पोटर्समेन इत्यादि को उक्त संवर्गो में नियमानुसार आरक्षण देय होगा। अभ्यर्थी के लिये निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिये।

आयु

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थीयो को उपरी आयु सीमा में पांच वर्ष शिथिलता प्रदान की जावेगी। भूतपूर्व सैनिको की उपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। विधवाओ व तलाकसुदा महिलाओ के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी। विधवा के मामले में, उन्हे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शैक्षणिक योग्यता

उक्त पद के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी राजकीय अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम कक्षा पांच उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं उन्हें देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा का पढने व लिखने का व्यावहारिक ज्ञान होना आवश्यक है।

चरित्र

सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हता बनाता हो। आवेदक को राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रतिष्ठित व्यक्तियों (जो आवेदक के रिश्तेदार न हो) द्वारा प्रदत्त अलग अलग दो चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ मूल ही लगाने होंगे तथा वे आवेदन की तिथी से 6 माह की अवधि से पूर्व के नही होने चाहिये।

शारीरिक योग्यता

आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नही होना चाहिये, जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय चयनित प्रत्याशी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

राष्ट्रीयता

अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सेवायें, नियुक्ति एवं अन्य शर्त्तें) नियम 1999 के अन्तर्गत राष्ट्रीयता के नियम के अनुसार अर्हता प्राप्त हो ।

आवेदन पत्र व अंतिम तिथि

अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र अनुसूची द्वितीय में दिए गए प्रारूप में फुल स्केप साईज के कागज पर स्वयं के पासपोर्ट साईज के फोटोयुक्त अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा। आवेदन पत्र के संलग्न उपरोक्तानुसार वांछित प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां पेश करनी होगी। आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 07.08. 2014 को सांयकाल 05.00 पी.एम. तक पंहुच जाने चाहिये। इस अन्तिम तिथि/समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जाकर निरस्त कर फाईल कर दिये जायेगें। योग्य अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 18.08.2014 को सांय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी।

शुल्क

किसी प्रकार का शुल्क देय नही हैं ।

पेन्शन योजना

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(7) एफ.डी.(रूल्स) 97 दिनांक 14.01.04 के अनुसार नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों पर परीविक्षा अवधि समाप्ति के बाद नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सभी नियम लागू होंगें।

विवाह पंजियन प्रमाण–पत्र प्रस्तुती /संतान

राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प.6(19)गृह –13/2006/जयपुर, दिनांक 22.05.2006 व परिपत्र क्रमांकः प.7(3)कार्मिक/क–2/2006 जयपुर, दिनांक 30.06.2006 की अनुपालना में राजकीय सेवाओं के लिये आवेदन करने वाले आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन पत्र में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करने एवं आवेदन पत्र में विवाह पंजीयन की सूचना अनिवार्यतः अंकित की गई है नियमानुसार दिनांक 22.05.2006 के बाद व पूर्व में होने वाले विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । राज्य सरकार के अध्यादेश के अनुसार दिनांक 01.06.2002 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। जिस बाबत भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

साक्षात्कार

साक्षात्कार हेतु योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार न्यायालय परिसर, में दिनांक 13.09.2014 को प्रातः 10.30 बजे से लिया जायेगा, इसकी सूचना किसी भी अभ्यर्थी को अलग से प्रेषित नही की जाएगी, न ही किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आने या जाने का कोई यात्रा भत्ता आदि का भुगतान किया जायेगा। यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हुई तो शेष रहे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आगामी कार्यदिवस को लिये जायेंगें। आवेदकों को आवेदन पत्र के संलग्न लगाये गये प्रमाण पत्रों के मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय साथ लाना होगा। साक्षात्कार की तिथि में परिर्वतन किये जाने पर उसकी सूचना जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली के सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी, किसी भी अभ्यर्थी को अलग से इसकी सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

परिणाम

साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पूर्ण होने के सात दिवस के भीतर अन्तिम परिणाम न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जावेगा।

टिप्पणी

आवेदक प्रार्थना पत्र में अंकित सभी प्रविष्टिया सत्य अंकित करेंगे तथा जन्म तिथि, शेक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, वाहन चालक दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र, अजा/अजजा/ओबीसी/विकलांग/विधवा या परित्यकता का प्रमाण पत्र, विवाहित होने पर विवाह का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र, संतान सम्बन्धित शपथ पत्र, नियोजन कार्यालय पंजीयन आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। साक्षात्कार में आने व साक्षात्कार लेने का अर्थ यह नही होगा कि अभ्यर्थी को पूरी तरह से पात्र व योग्य मान लिया गया है तथा इस आधार पर कोई हित व अधिकार उत्पन्न नही होगें। यह नियुक्ति निश्चित समयावधि व पूर्णतया अस्थाई होकर कभी भी समाप्त होने योग्य है। न्यायालय के अवसान होने अधिशेष कनिष्ठ कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। जो आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को उत्तीर्ण कराने के प्रयास करेगें, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

अध्यक्ष,
च.श्रे.कर्म. भर्ती कमेटी,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
पाली ।

क्रमांक/स्था/2014/ दिनांकः– 14/07/2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
3. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश ....
4. जिला कलक्टर, पाली
5. जिला नियोजन अधिकारी, पाली ।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी पाली
7. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, पाली को प्रचारार्थ
8. समस्त अधीनस्थ न्यायालय पाली न्यायक्षेत्र नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. सूचना पटट् जिला न्यायालय पाली
10. कार्यालय प्रति।

अध्यक्ष,
च.श्रे.कर्म. भर्ती कमेटी,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
पाली ।

:: आवेदन पत्र का प्रारूप ::

स्वयं का फोटो

सेवामें,

श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय,

पाली।

विषय :– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति बाबत ।

1. नाम :– ______________________

2. पिता / पति का नाम :– ....

3. जन्म तिथि :– ....

4. जाति :– ....

5. वर्तमान पता :– ....

6. स्थायी पता :– ______________________

7. शैक्षणिक योग्यता :– ______________________

8. नियोजन कार्यालय में पंजीयन क्रमांक एवं वैधता की अवधि

9. क्या अभ्यर्थी अजा / अजजा, अ.पि.व. का सदस्य है, विकलांग, विधवा या परित्यक्ता है ? यदि हां, जो प्रमाण पत्र की सत्य प्रति संलग्न करें ।

10. अन्य कोई विशेष योग्यता

11. विवाहित / अविवाहित
संतान

दिनांक :–

हस्ताक्षर प्रार्थी
मय दिनांक व पूर्ण पता सहित

संलग्न दस्तावेज :–

1. जन्म तिथि सम्बन्धित प्रमाण पत्र
2. शेक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां
3. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार नहीं हो
4. मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, जाति सम्बन्धि प्रमाण पत्र की प्रति– एससी / एसटी / ओबीसी
5. जिला नियोजन कार्यालय द्वारा जारी पंजीयन कार्ड की प्रति
6. विवाह सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति / शपथ पत्र
7. दो से अधिक संतान न होने के शपथ पत्र

शपथ पत्र

मैं........................ पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती .... निवासी .... शपथ पूर्वक बयान करता हूॅं/करती हूॅं कि मेरा विवाह श्रीमति/श्री .... निवासी .. .. के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक .... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमति/ श्री .... निवासी .... के साथ दिनांक .... को राजस्थान के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं अविवाहित हूॅं।

या

मैं .... विधुर/तलाकसुदा/ विधवा हूॅं (पति/पत्नि) श्री/श्रीमति ....

संतान सम्बन्धी घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र /पुत्री श्री .... निवासी .... यह घोषणा करता हूॅं कि मेरे दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

– – –

अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नाकिंत प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां एवं शपथ पत्र संलग्न करने आवश्यक है :–

1. एक पासपोर्ट साईज फोटो स्वयं के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र पर चस्पा किया जावें
2. जन्म तिथि सम्बन्धित प्रमाण पत्र
3. शेक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां
4. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार नहीं हो
5. मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, जाति सम्बन्धि प्रमाण पत्र की प्रति– एससी/एसटी/ओबीसी
6. जिला नियोजन कार्यालय द्वारा जारी पंजीयन कार्ड की प्रति
7. विवाह सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति/शपथ पत्र
8. दो से अधिक संतान न होने के शपथ पत्र